10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. दस रुपये
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(9)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

निग - 2/अप- I-16

निगरानी क्रमांक- सन् 2016

करामप्रसाद पिता जगन्नाथ पटैरिया आयु करीब 80 वर्ष

निवासी ग्राम हिलगुवाँ तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 -- निगरानी कर्ता

बनाम

1. जगदीश प्रसाद तनय दलपत राय नि0 हिलगुवाँ

तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0

2. म0प्र0 शासन -- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्व कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल ईशानगर के प्रकरण क्रमांक -58/अ 12/2015-16 में किये गये आदेश दिनांक - 10/05/16 से परिवेदित होकर ।

महोदय ,

निगरानी कर्ता वृद्ध काश्तकार पेशा व्यक्ति है व अनावेदक क्रमांक-1 म0प्र0 शासन में थाना प्रभारी के पद पर जिला टीकमगढ एवं अन्य जगह पदस्थ रहा है व अपने पद एवं पैसे के प्रभाव का प्रयोग कर निगरानी कर्ता की भूमि हड़पना चाहता है । इस हेतु उसने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवेदक की उपजाऊ भूमि को आलोच्य आदेश दिनांक-10/05/16 जो कि प्रकरण क्रमांक -58/अ 12/2015-16 में माननीय राजस्व निरीक्षक मंडल ईशानगर द्वारा पारित किया गया है । मे नपवाना बताता है जबकि वास्तविकता में मौके पर कोई नाप नही हुई न ही बंदोबस्ती चिन्हों को दर्शाया गया न ही निगरानी कर्ता को नोटिस दिया गया न ही अन्य मिडोही काश्तकारों को नोटिस दिया गया व किसी अन्य तारीख का नोटिस देकर कुछ गाँव के व्यक्तियों से फर्जी दस्खत कराकर दस्तावेज तैयार करा लिये व घर बैठकर सारी कार्यवाही अवैध रूप से की गई जो कतई स्थिर रखे जाने योग्य नही है । जिससे दुखी होकर निगरानी कर्ता निम्न लिखित सबल आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1. यहकि उक्त निगरानी समयावधि में एवं श्रीमान के क्षेत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2144-एक/2016 रामकृपाल विरूद्ध जगदीश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अभिभाषक की मृत्यु हो चुकी है । अनावेदक जगदीश की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल ईशानगर के सीमांकन आदेश दिनांक 10-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 17.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	